न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :—

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 95/2021

हबीब खान पुत्र अस्तअली खान, जाति कायमखानी, निवासी गांगियासर, उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर नायब तहसीलदार बिसाऊ, जिला झुंझुनू।
2. मूर्ति मंदिर रायमाता गांगियासर समिति तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज. जरिये सदस्य कृष्ण कुमार जानू।

— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ निर्णय दिनांक 02.09.2021 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम हबीब खान अंतर्गत धारा 91 भू. राज. अधि0 मु0नं0 25/21

उपस्थितिः—

1. श्री आबिद एम खान एडवोकेट ———— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————.———————रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से।
3. श्री सुरेन्द्र भाम्बू, एडवोकेट ———— ——— रेस्पोंडेंट नं0 2 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.09.2021

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.09.2021 मुकदमा नंबर 25/2021 बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम हबीबखान अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि — अपीलांट ने कथन किया कि हल्का पटवारी ने झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्ति मंदिर रायमाता पर 0.04 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने की झूठी रिपोर्ट पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया, लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना ही दिनांक 02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

09.2021 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई ।

अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट ने यह भी आपति की थी कि भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्ति मंदिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकारण को सुनने का कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त जवाब नोटिस व प्रार्थना पत्र अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठाई गई कानूनी आपति पर गौर किये बिना ही अदालत मातहत ने दिनांक 02.09.2021 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि के किसी भू-भाग पर कोई कब्जा नहीं है। एक आवासीय भूखण्ड 108 X 135 फीट का श्यामसिंह पुत्र हरी सिंह राजपूत गांगियासर तहसील मलसीसर ने अपीलांट व उसके भाई याकूब खा, अयुब खां, पुत्र अस्त अली खान गांगियासर ने कुल 28000/- रूपये में खरीदा जिसकी एक लिखावट ईकरारनामा लिखवाकर नोटेरी पब्लिक के प्रमाणित करवा दिया। उक्त भूखण्ड आपसी बंटवारे में अपीलांट के हिस्से में आया । अपीलांट ने 12 वर्ष बाद पारीवारिक बंटवारा कर अपने पुत्र असलम खां व अकरम खां को 300-300 वर्गगज के भूखण्ड दे दिये। अपीलांट के पुत्र असलम खां के हक में दिनांक 13.12.2019 को ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा पट्टा जारी किया गया। उक्त दोनों पट्टों का उप पंजीयक बिसाउ द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पंजीबद्ध कर निष्पादित किया गया। ऐसी सूरत में उक्त अकरम व असलम खां को नोटिस दिये बगैर बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। ग्राम गांगियासर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड के रूप में दर्ज है जो कि वास्तविक रूप से उक्त आवंटित भूमि में अपीलांट का कब्जा व अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान व दुकान आदि मौके पर आबादी भूमि में मौजुद हैं, लेकिंन राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय आवंटित भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान पर दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट [illegible] राजस्व रिकार्ड के आधार पर नाजायज व गैर कानूनी रूप से झूठा नोटिस अदालत [illegible] में प्रस्तुत किया । अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

मातहत ने अपीलांट की उक्त आपति पर बिना कोई जांच व मौके की रिपोर्ट मांगे अपने न्यायिक विवेके का प्रयोग किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है।

अपीलांट ने आगे कथन किया है कि अपीलांट को विवादित आराजी खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि को सिवायचक मानकर अं0 धारा 91 राज. भू. राजस्व अधि0 का नोटिस प्रदान किया है। विवादित भूमि खसरा नंबर 399 राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मंदिर रायमाता कि खातेदारी में दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 91 भू राजस्व अधि0 का नोटिस उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है, जब भूमि सरकार की हो। अर्थात चारागाह, बंजड़, जोहड़, नदी नाले कि भूमि हो। अपीलांट को उक्त नोटिस खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर मूर्ति मंदिर रायमाता कि मानकर प्रदान किया है जो कि विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब नोटिस के तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 02.9.2021 पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है, वह गलत प्रस्तुत किया है। नक्शें में सड़क को 10 फीट चौड़ी दर्शायी गई है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त सड़क 104 फीट चौड़ी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 104 फीट भूमि एक्वायर करने के बाद रायमाता मंदिर कि कोई भूमि शेष नहीं रहती है। अदालत मातहत ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.9.2018 को आधार मानकर निर्णय दिनांक 2.9.2021 द्वारा अपीलांट को नाजायज व गैर कानूनी रूप से अतिकमी घोषित किया है।

अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि वाके ग्राम गांगियासर की सरहद में आबादी भूमि 529 के निकट अपीलांट व अन्य व्यक्तियों को अतिकमी होने की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि वास्तविकता यह है कि भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा आबादी भूमि हेतु आवंटन किया। उक्त आवंटित भूमि में हल्का पटवारी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध अतिकमण की झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आबादी भूमि में बस स्टेण्ड, राजकीय पाठशाला ,पटवार घर, सांडशाला, पंचायत घर , हाट बाजार व सार्वजनिक शौचालय आदि बने हुये है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि खसरा नंबर 399/943 को नाजायज व गैर कानूनी रूप से नक्शें में गलत दर्शा रखा है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 02.9.2021 को निरस्त फरमाया जावे। खर्चा भी दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – हल्का पटवारी ने झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्ति मंदिर रायमाता पर 0.04 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने की झूठी रिपोर्ट पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना ही दिनांक 02.09.2021 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई ।

अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट ने यह भी आपति की थी कि भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमंदिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकारण को सुनने का कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त जवाब नोटिस व प्रार्थना पत्र अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठाई गई कानूनी आपति पर गौर किये बिना ही अदालत मातहत ने दिनांक 2.09.2021 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि के किसी भू–भाग पर कोई कब्जा नहीं है। एक आवासीय भूखण्ड 108x135 फीट का श्यामसिंह पुत्र हरी सिंह राजपूत गांगियासर तहसील मलसीसर ने अपीलांट व उसके भाई याकूब खा, अयुब खां,पुत्र अस्त अली खान गांगियासर ने कुल 28000 रूपये में खरीदा जिसकी एक लिखावट ईकरारनामा लिखवा कर नोटेरी पब्लिक के प्रमाणित करवा दिया। उक्त भूखण्ड आपसी बंटवारे में अपीलांट के हिस्से में आया । अपीलांट ने 12 वर्ष बाद पारीवारिक बंटवारा कर अपने पुत्र असलम खा व अकरम खो को 300–300 वर्गगज के भूखण्ड दे दिये। अपीलांट के पुत्र असलम खां केहक में दिनांक 13. 12.2019 को ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा पट्टा जारी [illegible]। उक्त दोनों पट्टों का उप पंजीयक बिसाउ द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पंजीबद्ध कर [illegible]त किया गया। ऐसी सूरत में उक्त अकरम व असलम खांको नोटिस दिये बगैर बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध हल्का पटवारी ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। ग्राम गांगियासर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड के रूप में दर्ज है जो कि वास्तविक रूप से उक्त आवंटित भूमि में अपीलांट का कब्जा व अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान व दूकान आदि मौके पर आबादी भूमि में मौजुद हैं, लेकिंन राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय आवंटित भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान पर दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर नाजायज व गैर कानूनी रू‌प से झूठा नोटिस अदालत मातहत में प्रस्तुत किया जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट की उक्त आपति पर बिना कोई जांच व मौके की रिपोर्ट मांगने पर कोई गौर नहीं किया। अदालत मातहत ने अपने न्यायिक विवेके का प्रयोग किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है।

अपीलांट ने आगे कथन किया है कि अपीलांट को विवादित आराजी खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि को सिवायचक मानकर अं0 धारा 91 राज. भू. राजस्व अधि0 का नोटिस प्रदान किया है। विवादित भूमि खसरा नंबर 399 राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मंदिर रायमाता कि खातेदारी में दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 91 भू राजस्व अधि0 का नोटिस उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है,जब भूमि सरकार की हो। अर्थात चारागाह, बंजड़, जोहड़, नदी नाले कि भूमि हो। अपीलांट को उक्त नोटिस खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर मूर्ति मंदिर रायमाता कि मानकर प्रदान किया है जो कि विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने अपीलांट के जवाब नोटिस के तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 2.9.2021 पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है, वह गलत प्रस्तुत किया है। नक्शें में सड़क को 10 फीट चौड़ी दर्शायी गई है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त सड़क 104 फीट चौड़ी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 104 फीट भूमि एक्वायर करने के बाद रायमाता मंदिर कि कोई भूमि शेष नहीं रहती है। अदालत मातहत ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.9.2018 को आधार मानकर निर्णय दिनांक 2.9.2021 द्वारा अपीलांट को नाजायज व गैर कानूनी रूप से अतिकमी घोषित किया है।

अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि वाके ग्राम गांगियासर की सरहद में आबादी [illegible] के निकट अपीलांट व अन्य व्यक्तियों को अतिक्रमी होने की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट [illegible] सकी है। जबकि वास्तविकता यह है कि भूमि खसरा नंबर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर ग्राम की जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

आबादी भूमि हेतु आवंटन किया। उक्त आवंटित भूमि में हल्का पटवारी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आबादी भूमि में बस स्टेण्ड, राजकीय पाठशाला ,पटवार घर, सांडशाला, पंचायत घर, हाट बाजार व सार्वजनिक शौचालय आदि बने हुये है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि खसरा नंबर 399/943 को नाजायज व गैर कानूनी रूप से नक्शें में गलत दर्शा रखा है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 02.9.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर गैर मु0 बणी ,बजरी, चौका पटटी व दिवार लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील के बाद अपीलांट द्वारा अदालत मातहत में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैद्य साबित होता हो। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि विवादित भूमि आबादी भूमि है और जिला कलक्टर द्वारा आबादी विस्तार हेतु यह भूमि आवंटित की गई थी। अपीलांट आबादी भूमि में आबाद हैं उनके पास ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा जारी पट्टे हैं जो तहसीलदार के यहां पंजीकृत भी है, का प्रश्न है उक्त तथाकथित पट्टे खसरा नंबर 522 में जारी किये गये हैं। जबकि उक्त पट्टों की आड़ में अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर 399 में अतिक्रमण किया है, जो मूर्ति मंदिर राय माता के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य राजकीय भूमियों पर पट्टे जारी नहीं कर सकती। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट नंबर–2 भी राजकीय अधिवक्ता के कथनों से सहमति प्रकट करते हुये कहा कि अपीलांट द्वारा उक्त पट्टों की आड़ में भूमि खसरा नंबर 399 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण किया है, जो मूर्ति मंदिर राय माता के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य राजकीय भूमियों पर पट्टे जारी नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा जारी पट्टे खसरा नंबर 522 में जारी किये गये है। अगर अपीलांट को राजस्व रिकार्ड नक्शें आदि से कोई आपति है और नक्शे गलत लग रहे हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्लीडिंग व साक्ष्य तथा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट के विरूद्ध यह रिपोर्ट की गई है कि उसने भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर के भाग पर अवैध कब्जा किया है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि गैर मु. चारागाह हिस्सा 2/991 व मूर्ति मंदिर श्री राय माता 989/991 दर्ज है तथा किस्म जमीन गैर मु0 बणी है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मंदिर व गैर मु0 चारागाह की भूमि की रक्षा करने का दायित्व तहसीलदार का बनता है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट को गलत मानने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि वे आबादी भूमि में काबिज हैं, नक्शा सीट गलत बनी हुई है। इस संदर्भ में अपीलांट नियमानुसार नक्शा सीट दुरूस्त करवाने व सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रक्रिया कर सकता था, जो आज तक उसके द्वारा नहीं की गई है। इस स्तर पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा को सही होना माना जायेगा और पटवारी हल्का ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ही अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि मंदिर की खातेदारी भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प0 3 (2) राज–6/2007 / पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध राजकीय भूमि की तरह अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। कानून से चारागाह की भूमि व मूर्ति मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिग होता है कि खातेदारी की भूमि पर किसी को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां तक विवादित भूमि खसरा नंबर 399 के संबंध में अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा संख्या 59 का प्रश्न है, ग्राम पंचायत गांगियासर द्वारा अपीलांट को खसरा नंबर 522 आबादी भूमि में पट्टा संख्या 59 जारी किया है। ग्राम पंचायत आबादी भूमि के अलावा अन्य राजकीय भूमियों पर पट्टा जारी नहीं कर सकती। पट्टा संख्या 59 जो खसरा नंबर 522 आबादी भूमि में से जारी किया गया है, उसकी आड़ में अपीलांट को खसरा नंबर 399 जो गै0 मु0 बनी में अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी सूरत में अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2021 उनवानी सरकार बनाम हबीब खां मु0 नं0 25/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

29.9.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:07 IST
Reason: SelfAttested